

प्रा.प

39

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

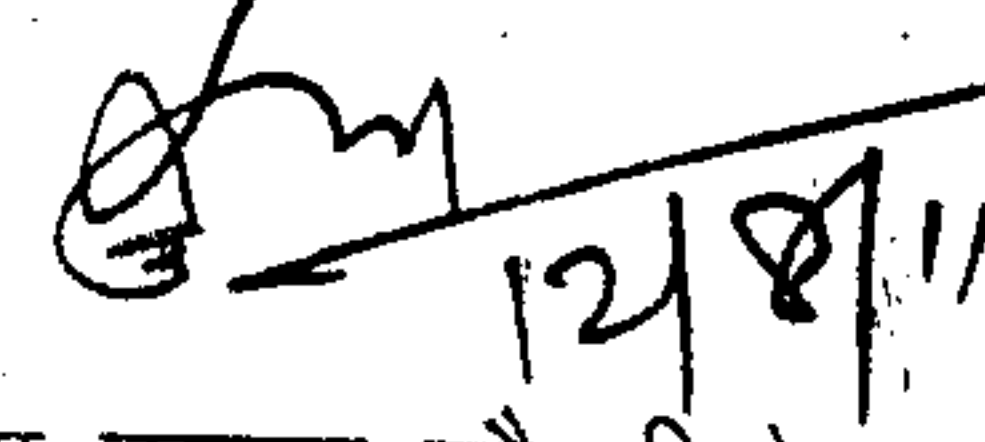
3902 राँची
दिनांक :- 12.8.11

अधि० सं०-2/स्था.स्थाना.-03-11/11-----/ दिनांक 15.07.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक), जो वर्तमान में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विजय सिंह जे 7314/11.07.53/गया	सहायक अभियंता पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमंडल सं.-01, बरहरवा (सिंचाई प्रमंडल बरहरवा)	ग्रा. वि. वि. की अधि.सं. 4073 दि. 29.06.11 द्वारा सेवा वापस।
2.	श्री चन्द्रशेखर 4409/01.07.66/बलिया (यू.पी.)	सहायक अभियंता पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता के रूप में सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम को।	ग्रा. वि. वि. की अधि.सं. 4078 दि. 29.06.11 द्वारा सेवा वापस।
3.	श्री विनय कुमार ठाकुर 2328/05.06.52/समस्तीपुर	सहायक अभियंता पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमंडल सं.-02, चक्रधरपुर शिविर चाईबासा (जलपथ प्रमंडल सं.-02 चक्रधरपुर, शिविर चाईबासा)	ग्रा. वि. वि. की अधि.सं. 4069 दि. 29.06.11 द्वारा सेवा वापस।
4.	श्री सतीश चन्द्र वर्मा 2199/15.10.56/पू.चम्पारण	सहायक अभियंता पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता के रूप में सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम को।	ग्रा. वि. वि. की अधि.सं. 4098 दि. 29.06.11 द्वारा सेवा वापस।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक—

3902

राँची, दिनांक— 12.8.11

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक—

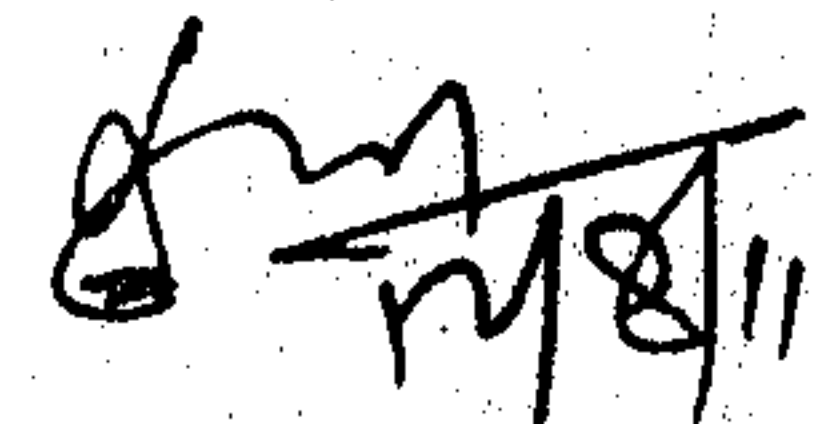
3902

राँची, दिनांक— 12.8.11

प्रतिलिपि—महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब०, 7/यो० एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार अविलम्ब सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर संबंधित अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह अगस्त 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)